न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारीः श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 22/2020
जीसीएमएस नम्बर :: 2020/00164

अपीलाण्ट्स :–

श्रीमती फुलकी पुत्री कलीया उर्फ कल्याण जी पत्नी डूंगाराम जाति सांसी निवासी नया गांव, सांसी बस्ती, पाली तहसील पाली जिला पाली के विधिक वारिशान् :–

1. सूरजाराम पुत्र श्रीमती फुलकी, जाति सांसी, निवासी भदासिया, रोडवेज वर्कशॉप के पास, सांसी बस्ती जोधपुर (राज.)
2. श्रीमती शारदा पुत्री श्रीमती फुलकी जाति सांसी निवासी सांसी बस्ती पांचबत्ती रातानाडा जोधपुर (राज.)
3. श्रीमती दुर्गा पुत्री श्रीमती फुलकी जाति सांसी निवासी सांसी बस्ती नया गांव पाली तहसील पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–

1. बाबूलाल पुत्र श्री रामाजी
2. भगवानदास पुत्र श्री रामाजी, जाति भील पता भीलों का छोटा बास, भगवती कलेक्शन वाली गली सूरजपोल पाली
3. भीमा देवी पुत्र रामाजी पत्नी गणेशजी जाति भील हाल पता भीलों की बस्ती, सोजती गेट जोधपुर
4. महेन्द्र उर्फ प्रभु पुत्र रामाजी जाति भील के वारिशान
   4.1. सीता देवी पत्नी श्री महेन्द्र उर्फ प्रभू
   4.2. निर्मल पुत्र महेन्द्र उर्फ प्रभू
   4.3. अविनाश पुत्र महेन्द्र उर्फ प्रभू
   4.4. किरण पुत्री महेन्द्र उर्फ प्रभू
   जातिगण भील, पता भीलों का छोटा बास, भगवती कलेक्शन वाली गली, सूरजपोल पाली
5. मनोज पुत्र रामाजी जाति भील के वारिशान
   5.1. प्रवीण कुमारी पुत्री श्री मनोज कुमार पत्नी देवेन्द्र प्रकाश जाति भील, बड़ी भीलों की बस्ती वार्ड संख्या 13 चान्दपोल गेट के बाहर जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर
   5.2. महावीर पुत्र मनोज कुमार
   5.3. परमेश्वर पुत्र मनोज कुमार
   5.4 विक्रम पुत्र मनोज कुमार
   जातिगण भील पता मकान संख्या 122 भीलों का छोटा बास, भगवती कलेक्शन के पास वाली गली पाली
6. भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग (फोरलेन ब्यावर से पिण्डवाड़ा) पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली जिला पाली (राज.)
7. उप पंजीयन पाली
8. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा
रेस्पो. संख्या 06 की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह राजपुरोहित
रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता
डॉ रजनीश श्री सत्यदेव राजपुरोहित

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 10.11.2025

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 482 दिनांक 15.11.1976 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा एवं रेस्पो संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता डॉ रजनीश श्री सत्यदेव राजपुरोहित तथा रेस्पो. संख्या 06 की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह राजपुरोहित वक्त बहस न्यायालय समय में उपस्थित आये। सरकारी पैरोकार उपस्थित। शेष रेस्पोडेण्ट्स को जारी सम्मन तामिल होने के बावजूद न्यायालय समय में वक्त बहस बार—बार आवजे लगाये जाने पर अनुपस्थित। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पटवार हल्का पाली चक संख्या 02 तहसील पाली के खसरा संख्या 547 रकबा 100 के बीघा के क्रमशः पांच काश्तकार कालियान वल्द चन्द्रा, नरसिंह पुत्र खोखर, जोगा वल्द गोपा सांसी, गिरधारी वल्द जगमा कौम बावरी, नाथिया वल्द चन्द्ररिया कौम सांसी थे जिनका प्रत्येक सह खातेदार अपने—अपने 1/5—1/5 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त थे। रेस्पोडेण्ट्स एवं उनके पूर्वजों ने अपीलाण्ट के पूर्वज जोगा पुत्र गोपा सांसी की 13 बीघा 15 बिस्वा व कल्याणीया पुत्र चन्द्राजी कौम सांसी की 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि हड़पने की नियत से फर्जी, कूटरचित व नियम विरूद्ध दस्तावेज तैयार किया जो बेचाण दस्तावेज धारा 42 आर टी एक्ट से प्रतिबन्धित होने से विधि विरूद्ध दस्तावेज तैयार किये जबकि अपीलार्थी के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में कभी भी कोई भूमि बेचाण नहीं की। अपीलार्थीगण के पिता जोगा पुत्र गोपा जी व उनकी पत्नी अपीलार्थीगण की माता तोलकी पत्नी जोगाजी सांसी जाति के थे और अपीलार्थीगण भी उनकी जायन्दा संतान है। चूंकि अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से कृषि भूमि का खरीद—बेचान नहीं कर सकता जबकि उक्त प्रकरण में अपीलार्थी के पिता द्वारा जो कि अनुसूचित जाति में शुमार है एवं रेस्पोडेण्ट्स के पूर्वज जो कि अनुसूचित जनजाति में शुमार है को जैर विवादित भूमि का बेचान किया गया है एवं उक्त बेचान के विपरीत जैर विवादित नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जो विधि विरूद्ध एवं शून्य दस्तावेज होने से काबिले खारिज है। अतः जैर नामान्तरकरण कूट व फर्जी तथा प्रारम्भ से ही शून्य दस्तावेज के विरूद्ध स्वीकृत किया गया है जो खारिज फरमावे। अपीलाण्ट ने अपने कथनों के समर्थन में 1986 RRD 176, 1993 RRD 94, 1995 RRD 372, 1992 RRD 397, 1986 RRD 624, 1991 RRD 387, 1991 RRD 218, 1992 RRD 117, 1992 RRD 21, 1992 RRD 19, 2019 (2) RRT 788, 1999 RBJ 332, 2000 RBJ 9,

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलक्टर, पाली

2000 RBJ 33, 2000 RBJ 292, 2002 RBJ 328, 2002 RBJ 239, 1998 RRD 356 न्यायिक नजीरे प्रस्तुत की।

अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 ने सर्वप्रथम दो प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 11 एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 व 152 व्यवहार प्रक्रिया संहिता दिनांक 23.01.2025 एवं प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय हाजा जैर अपील पर विचारण नहीं कर सकता क्योंकि इसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्यक – विषय इसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले इन्हीं पक्षकारों के बीच के व ऐसे पक्षकारों के बीच के ही है, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है इन्हीं के मध्य पूववर्ती अपील 29/2010 निर्णय दिनांक 09.11.2017 में भी इसी न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद रहा है जो ऐसे पश्चातवर्ती अपील का या उस अपील का जिसमें ऐसी विवाद्यक अपील में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जाकर अन्तिम रूप से अपील को उपशमन करके विनिश्चित किया जा चुका है। इस कारण से यह अपील इसमें उठाये गये किसी भी बिन्दु पर विचारण किये बिना ही खारिज किया जाना ही विधि में प्रावधित है। हमने पत्रावली पर उपलब्ध प्रकरण संख्या 29/2010 एवं 28/2010 के निर्णय दिनांक 09.11.2017 का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त निर्णय के अन्तिम पैरा में न्यायालय हाजा ने अपीलाण्ट को नये सिरे से अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की थी एवं अपीलाण्ट ने जैर अपील उक्त निर्देशों की पालना में ही प्रस्तुत की है। लिहाजा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत जैर प्रार्थना–पत्र दिनांक 23.01.2025 खारिज किया जाता है।

इसके अतिरिक्त अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 ने एक अन्य प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 214 व क्रम संख्या 66 तृतीय अनुसूची राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा 2 जे 3 तथा तृतीय खण्ड भाग ।। का अनुच्छेद परिसीमा अधिनियम 1963 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स प्रारम्भ से ही इस न्यायालय में इस प्रकरण व इससे पूर्व प्रस्तुत सभी प्रकरणों जो कि न्यायालय हाजा में तथा अन्य न्यायालयों में प्रस्तुत इन सभी प्रकरणों के बारे में जानते थे, लेकिन उसके बाद भी सआशय व जान–बूझकर ही उपस्थित नहीं होना संचिका के अवलोकन मात्र से स्पष्टतया ही प्रकट है। इस प्रकरण में वाद–कारण वर्ष 1975 में ही विक्रय–विलेख निष्पादन से ही उद्भूत हो गया। विधि के अध्यधीन, विलम्ब कारित होने में लगे समय के दिन का स्पष्टीकरण दिया जाना भी विधि के अध्यधीन आज्ञापक है। कोई दावा/अपील की विधि में प्रावधित समय सीमा के दशकों/वर्षों बाद प्रकरण दायर करना विधि में कदापित अनुमत्य ही नहीं है। कोई भी प्रकरण चाहे वह, भूमि अनुसूचित जाति की होने से व मामला राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के अन्तर्गत आने से समय सीमा लागू ही नहीं होने की काल्पनिक/अयथार्थ अवधारणा मात्र कि 'जिसके लिए कोई सीमा लागू नहीं होती' के आधार पर ही संस्थित कर देने मात्र से ही प्रकरण चलने योग्य नहीं हो जाता है क्योंकि विधि के अध्यधीन, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के उल्लंघन के अनुसरण में लेन–देन के कारण कब्जे में आये व्यक्ति को बेदखल करने की कार्यवाही केवल अधिनियम की धारा 175 के तहत शुरू की जा सकती है, जिसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 214 के तहत सीमा निर्धारित की गई है। राजस्थान

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलक्टर, पाली

काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 214 इस प्रकार है कि इस कि इस अधिनियम के तहत मामलों में सीमा – तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट वाद और आवेदन उनके लिए निर्धारित समय के भीतर संस्थित और प्रस्तुत किये जायेंगे और इस प्रकार निर्धारित सीमा अवधि की समाप्ति के बाद संस्थित किया गया प्रत्येक वाद या प्रस्तुत किया गया आवेदन खारिज कर दिया जायेगा। मद संख्या 66 में अनुसूची ।।। के अन्तर्गत प्रारम्भ में 03 वर्ष, तत्पश्चात 12 वर्ष व बाद में 30 वर्ष की अवधि निर्धारित है। अतः जैर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रकरण अवधि बाधित होने से विधि के अध्यधीन जैर अपील सव्यय खारिज फरमावे। विपक्षी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स के पिता अनुसूचित जाति के है एवं रेस्पोडेण्ट के पूर्वज अनुसूचित जनजाति के है तो विवादित विक्रय–विलेख प्रारम्भ ही शून्य है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के अन्तर्गत ऐसे अन्तरण करना प्रतिबंधित है एवं जैर विवादित नामान्तरकरण उसी शून्य दस्तावेज के विरूद्ध स्वीकृत किया गया है। साथ ही अपीलाण्ट्स के पिता ने अपने जीवनकाल में कभी भी उनके हिस्से की भूमि अन्तरण नहीं की न ही बेचाण की। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान पूर्णतः अलग है तथा खातेदारी घोषणा के वाद हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। जैर अपील नामान्तरकरण के विरूद्ध अपीलण्ट ने जानकारी दिनांक से अपील पेश की। इस प्रकार रेस्पोडेण्ट पक्षकार ने मात्र गलत तथ्यों की अवधारणा करते हुए उपरोक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया जो खारिज किये जाने योग्य है।

प्रकरण में हम सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विवेचन करना उचित समझते है। अपीलाण्ट द्वारा यह अपील नामान्तरकरण संख्या 482 दिनांक 15.11.1976 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 31.07.2020 अर्थात् करीब 44–45 वर्ष बाद प्रस्तुत की है। वस्तुतः प्रकरण अपीलाण्ट के पूर्वाधिकारी द्वारा जो कि अनुसूचित जाति के है, रेस्पोडेण्ट के पूर्वाधिकारियों को जो अनुसूचित जनजाति में शुमार है को जैर आराजी का बेचान वर्ष 1975 में करने के उपरान्त उक्त विक्रय–विलेख के आधार पर स्वीकृत जैर विवादित नामान्तरकरण संख्या 482 दिनांक 15.11.1976 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। उक्त नामान्तरकरण में बेचान वर्ष 1975 को किया जाना वर्णित है। अपीलाण्ट द्वारा जैर विवादित नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 03.06.2020 व दिनांक 18.07.2020 को वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेण्ट्स भू–माफिया लोगों को साथ लाकर जबरन कब्जा करने हेतु मौके पर आये तब उन्हें उक्त जैर विवादित नामान्तरकरण की जानकारी होना अवगत करवाया है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन करने पर प्रकरण में यह आश्चर्यजनक तथ्य प्रकट आता है कि अपीलाण्ट के पूर्वाधिकारियों द्वारा न्यायालय हाजा में वर्ष 2010 में जैर विवादित नामान्तरकरण की ही एक अपील प्रस्तुत की थी जिसमें दिनांक 09.11.2017 को उपशमन के आधार पर जैर अपील खारिज कर दी। जिससे प्रकरण में स्पष्ट रूप से उजागर होता है कि अपीलार्थी को विवादित नामान्तरकरण की जानकारी वर्ष 2010 से ही थी। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा अब प्रस्तुत अपील में विवादित नामान्तरकरण की

जिला कलक्टर, पाली

ज्ञान प्राप्ति की जानकारी वर्ष 2020 में बताना तथ्यात्मक रूप से असंगत एवं अविश्वसनीय है। जहां तक अपील प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है, के शमन का प्रश्न है, तो इस बिन्दु पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा समय–समय पर अपने निर्णयों में व्यवस्थाऐं प्रदान की हैं। इस सम्बन्ध में आर.आर.टी. 2007 (2) पेज 939 डी. गोपीनाथ पिल्लई बनाम स्टेट ऑफ़ केरल में यह प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा–विलम्ब का उपशमन–अपील पेश करने में 3320 दिन का असाधारण विलम्ब–उचित रूप से एवं सन्तोषप्रद ढंग से विलम्ब स्पष्ट नहीं किया – सहानुभूति आधारों पर न्यायालय विलम्ब उपशमन नहीं कर सकता – असाधारण विलम्ब उपशमन हेतु कारण नहीं दिये गये – निर्णीत, आदेश संहवनीय नहीं है व अपास्त किया।" इसी प्रकार RRD May, 2007 page 311 में यह प्रतिपातिदत किया कि Limitation Act, Section 5-C.P.C., Section 100-delay in filling second appeal-judgment passed by first appellate court on 16-08-2003-Appeal field by appellant on 19-12-2003 claiming knowledge of judgment on 07.12.2003 No explanation given for not filling appeal immediately-Held, appellant was taking the matter leisurely and at his own convenience-Delay, not condoned. इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आर.आर.टी. 2015 (1) पेज 232 भानूप्रतापसिंह बनाम श्रीमती घनश्याम कुमारी व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा–5–सिविल प्रक्रिया संहित 1908 – धारा 96 – विलम्ब का शमन – अपील पेश करने के 271 दिनों का विलम्ब – विभाजन तथा कब्जा हेतु वाद – 271 दिनों के विलम्ब के लिये समयभासी कारण नहीं बताया गया। मियाद बाधित होने से अपील खारिज की गई।" इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर. आर.टी. 2014 (2) पेज 1331 में प्रतिपादित किया कि परिसीमा अधिनियम, 1963 धारा 5 – विलम्ब का शमन, एस.एल.पी. पेश करने में 481 दिनों का विलम्ब – आधार लिया कि पत्रावली के एक विभाग/अधिकारी से दूसरे में आने के कारण विलम्ब हुआ, पर्याप्त एवं ठोस आधार नहीं – विलम्ब शमन हेतु मामला नहीं बनता है।" उपरोक्त सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होते है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत ऐसा कोई ठोस कारण दर्शित नहीं किया है, जिस पर यह विश्वास किया जा सके कि अपीलाण्ट को जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी नहीं रही हो तथा उक्त कारण के आधार पर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जा सके। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि अपीलाण्ट को जैर अपीलाधीन आदेश की जानकारी वर्ष 2010 को ही हो गयी थी। इस कारण परीसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य सद्भाविक न होकर अपील हाजा पर बाध्यकारी पाए जाते है। तद्नुसार अपील हाजा परिसीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों से बाधित होने के कारण सुनवाई योग्य प्रतीत नहीं होती है। अतः अधिवक्ता का उक्त प्रार्थना–पत्र प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 214 व

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

क्रम संख्या 66 तृतीय अनुसूची राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा 2 जे 3 तथा तृतीय खण्ड भाग ।। का अनुच्छेद परिसीमा अधिनियम 1963 स्वीकार किया जाता है जिसके परिणास्वरूप जैर अपील खारिज योग्य साबित होती है।

इसके अतिरिक्त अब जैर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर विवेचन किया जाये तो हस्तगत अपील में यह स्पष्ट है कि जैर अपील वास्तविक विक्रेताओं के वारिशान द्वारा लगभग 44 वर्षों बाद प्रस्तुत की गई है जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान ने एक न्यायिक नजीर 2016-17 RRT 459 में सिद्वान्त प्रतिपादित किया है एक बार पंजीबद्ध विक्रय–पत्र से सम्पति विक्रय करने के बाद विक्रेता के सारे अधिकार समाप्त हो जाते है तथा विक्रेता के वारिशान् को आपत्ति करने का कोई हक नहीं रहता जो कि इस अपील पर पूर्णतया चस्पा होते है क्योंकि जैर आराजी के वास्तविक विक्रेता जो कि अपीलाण्ट के पूर्वज थे के द्वारा जैर आराजी का बेंचान वर्ष 1975 में ही किया जा चुका है और अपीलाण्ट जो कि वास्तविक विक्रेताओं के वारिशान है द्वारा जैर अपील पेश की गई है जो वास्तव में विस्मयकारी है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने प्रकरण Indira Devi v/s Veena Gupta & Ors. में यह न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि विक्रय–पत्र में यदि पुनः खरीद का अधिकार विक्रेता को दिया गया हो, तो वह व्यक्तिगत नहीं माना जायेगा यदि दस्तावेज में विशेष रूप से ऐसा उल्लेख न हो, अर्थात् विक्रेता को स्वयं के वारिस के माध्यम से आपत्ति करने का सामान्य अधिकार नहीं रह जाता। उक्त न्यायिक सिद्धान्त भी हस्तगत प्रकरण पर हुबहू चस्पा होते है क्योंकि जैर अपील वास्तविक विक्रेताओं के वारिशान द्वारा उनकी मृत्यु के उपरान्त प्रस्तुत की गई है। साथ ही हस्तगत प्रकरण में यह भी आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया है कि उक्त प्रकरण में जैर विक्रय–विलेख जो कि अपीलाण्ट्स के पूर्वज द्वारा वर्ष 1975 में किया गया है, को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी हो, ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य अपीलाण्ट ने प्रस्तुत नहीं किया है।

समग्रतः हमारे द्वारा किये गये समस्त उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए एवं अपीलाण्ट न्यायालय हाजा के समक्ष स्वच्छ हाथों से अपील पेश नहीं करने, मियाद कण्डोन करने के लिए औचित्यपूर्ण एवं पर्याप्त आधार नहीं लिये जाने व अनावश्यक वाद बाहुल्य सृजित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। साथ ही तहसीलदार पाली को यह आदेशित किया जाता है कि जैर विवादित आराजी के अंतरण में वास्तव में धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ हो तो आवश्यक अभिलेखों सहित बाद परीक्षण धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सक्षम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **10.11.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली